

## खाता दुरस्ती आवेदन पत्र

(रा.स. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

उपरोक्त राजस्व-सीका  
विषय :- राजस्व सीकार्ड दुरस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम लखी की जमाबन्दी संवत्

खाता संख्या 203, 202, 117, 150, 116, 118, 230 उपरोक्त-07

में मेरानाम - लखी पुत्र भीमा शीला देवी की मंत्री कर्ता कि

लखित कुमार पुत्र भीमा के नाम से रते हुए ही अतः

मेरा नाम लखित कुमार पुत्र भीमा की कर्ता कर्ता रते

अतः उक्त दुरस्ती किमे जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक 3/12/2021

लखित कुमार

प्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खैरताड़ा  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गण्डों के संगे अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान बाघडी

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पुत्र एवं पटवारी बाघडी व भू.अ.नि.  
बाघडी की रिपोर्ट तथा ~~उत्त~~ तहसीलदार खैरताड़ा की अनशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लकोडा तहसील खैरताड़ा जिला  
उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में खाता संख्या 167, 202, 150, 166, 168, 230 में वर्तमान में दर्ज  
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>लकोडा</u>	<u>.167, 203, 202, 150, 166, 168, 230</u>	<u>लक्ष्मी कुमारी श्रीमा मीणा</u>	<u>ललित कुमारी पुत्र श्रीमा मीणा</u>

बाघडी  
उपखण्ड अधिकारी  
(खैरताड़ा जिला उदयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर, \_\_\_\_\_)

क्रमांक :- 2021/671

दिनांक :- 3/12/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, खैरताड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ललित कुमारी पुत्र श्रीमा मीणा
3. रक्षित पत्रावली। ललित कुमारी पुत्र श्रीमा मीणा को सूचनार्थ।

बाघडी  
उपखण्ड अधिकारी  
खैरताड़ा जिला उदयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर, \_\_\_\_\_

परवारी R.P.O

मीजा लकीरा के खाता सं. 203, 202, 167, 150, 166, 168, 230

कुल खाते में खातेदार का नाम - लखन पुत्र भीमा देव (166)

अतः खातेदार का नाम लखन पुत्र भीमा देव के बजाय ललितकुमार पुत्र भीमा देव किया जाना उचित है

Dinesh  
03/12/21  
ICR बड़वा

परवारी  
4/1/22

तहसीलदार ऑफिस

मीजा लकीरा के खाता सं. 203, 202, 167, 150, 166, 168, 230

कुल खाते - (07) में खातेदार का नाम - लखन पुत्र भीमा देव के बजाय

ललितकुमार पुत्र भीमा देव करने की अतिवृत्ति की जाती है

तहसीलदार-खैरवाड़ा  
जिला-उदयपुर

उपकरण अधिकारी

मीजा- लकीरा के खाता सं. 203, 202, 167, 150, 166, 168, 230

कुल खाते (07) में खातेदार का नाम लखन पुत्र भीमा देव के बजाय

ललितकुमार पुत्र भीमा देव करने की अतिवृत्ति की जाती है

उपकरण अधिकारी  
खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)